न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम–खाखरलाई

राजस्व आवेदन संख्या :–206/2025

प्रार्थीः–

ओमदास पुत्र भीखाराम जाति संत निवासी खाखरलाई तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री श्रवण जांगीड़
प्रार्थी वकील

–:: आदेश ::– दिनांक :–19.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 54, 55 व 58 कुल रकबा 07.0511 हैक्टेयर ग्राम खाखरलाई तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम ओमदास ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ओमदास के स्थान पर 'ओमप्रकाश' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र कमांक–भू.अ./2025/08 दिनांक 19.09.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम ओमदास है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम ओमप्रकाश लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:39:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आदि दस्तावेजात में उनका नाम ओमदास दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमदास होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खाखरलाई तहसील सिवाना की खसरा संख्या 54, 55 व 58 कुल रकबा 07.0511 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'ओमप्रकाश' के स्थान पर 'ओमदास उर्फ ओमप्रकाश' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम खाखरलाई में सरे आम सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.10.11 11:39:12 IST
Reason: SelfAttested